अनुदान संख्या 90 – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रलय
GRANT No. 90–MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1834,87,00		1835,52,00	1531,41,43	–304,10,57
पूरक	Supplementary	65,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					304,18,83
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			20,84,00	6,85,51	–13,98,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					12,35,29

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (30410.57 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 65.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (30418.83 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.30410.57 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.65.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.30418.83 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1359.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1359.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2553" संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	Major Head "2553" MP's Local Area Development Scheme					
मू.	O.	158000.00		131000.00	131000.00	. .
पु.	R.	–27000.00				
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics					
मू.	O.	17155.00				
पू.	S.	64.00		16479.29	16489.65	+10.36
पु.	R.	–739.71				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	5000.00				
पू.	S.	1.00		4658.48	4665.70	+7.22
पु.	R.	–342.52				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	1100.00		133.82	129.29	–4.53
पु.	R.	–966.18				

(I) 1359.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत एक मामले में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा

(I) Provision of Rs.1359.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Expenditure – Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim" – due to utilisation of part funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit

आंशिक निधियों का उपयोग किए जाने और शेष राशि व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2553'' - ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/स्थानीय निकायों को सहायता - अनुदान सहायता'' के अंतर्गत 27000.00 लाख रु. की बचत (158000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के पात्रता मानदंड को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय सांख्यिकी संगठन'' -

(क) ''भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण'' - 533.83 लाख रु. की बचत (595.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के केवल श्रेणी I को आरंभ किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण'' - 145.36 लाख रु. की बचत (352.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय फर्नीचर की अधिप्राप्ति न किए जाने, प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ न किए जाने और यात्रा अनुदानों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''सामाजिक, पर्यावरण और मूल्य सांख्यिकी का विकास'' - 352.96 लाख रु. की बचत (463.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवश्यक जनशक्ति को स्वीकृति प्रदान न किए जाने की वजह से मूल्य सांख्यिकी से संबंधित सर्वेक्षण आरंभ न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - कार्यक्रम कार्यान्वयन'' - 154.74 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, विदेशी दौरे मूर्त रूप न ले पाने और परामर्शदाताओं को कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी-पांचवीं आर्थिक जनगणना'' के अंतर्गत 509.82 लाख रु. की

of North Eastern Region including Sikkim from the concerned functional heads and surrender of balance amount to non-lapsable pool.

(II) Under Major Head "2553" – "Assistance to District Rural Development Agencies/Local Bodies – Grant Assistance" – saving of Rs.27000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.158000.00 lakhs) was due to non-fulfillment of eligibility criteria for releasing funds under MP's Local Area Development Scheme.

(III) Under Major Head "3454" – "Surveys and Statistics" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Statistical Oragnisation" -

(a) "Modernisation of Statistical System in India" – saving of Rs.533.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.595.00 lakhs) was due to taking up of only Tier I of the scheme.

(b) "Institutional Development and Capacity Building" – saving of Rs.145.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.352.00 lakhs) was due to non-procurement of office furniture, non-start of proposed training programmes and non-utilisation of travel grants.

(c) "Development of Social, Environment and Price Statistics" – saving of Rs.352.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.463.00 lakhs) was due to non-taking of surveys relating to Price Statistics owing to non-sanction of necessary manpower.

(B) "Other Expenditure – Programme Implementation" – saving of Rs.154.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of foreign tours and less payment to consultants.

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Surveys and Statistics – Economic Advice and Statistics – 5th Economic Census" – saving of Rs.509.82 lakhs (against the

बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी- पांचवीं आर्थिक जनगणना'' के अंतर्गत 970.71 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों को लागू किए जाने में विलंब होने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (613.83 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि (निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध -II द्वारा) 65.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन'' -

(का) ''अधीनस्थ कार्यालय'' - 378.22 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 394.14 लाख रु. था।

(खा) ''क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग'' - 53.09 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 50.63 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी- सांख्यिकी - पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता अनुदान'' - 182.52 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 174.52 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes – Surveys and Statistics – Economic Advice and Statistics – 5th Economic Census" – saving of Rs.970.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in implementation of the schemes.

2. The above savings were partly (Rs.613.83 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.65.00 lakhs/vide Annexure – II to the Supplementary Demands for Grants) under the following major heads:-

(I) Major Head "3454" – "Surveys and Statistics – National Sample Survey Oragnisation"-

(A) "Subordinate Office" – Rs.378.22 lakhs. Actual excess, however, was Rs.394.14 lakhs.

(B) "Field Operations Division" – Rs.53.09 lakhs. Actual excess, however, was Rs.50.63 lakhs.

(II) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Surveys and Statistics – Economic Advice and Statistics - Statistics – Grants-in-aid to the States for carrying out Central NSS Sample Work in the North Eastern Region" – Rs.182.52 lakhs. Actual excess, however, was Rs.174.52 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	2084.00	848.71	685.51	–163.20
पु.	R.	–1235.29			

(I) ''सांख्यिकी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण'' - 793.26 लाख रु. की बचत (934.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''एनएसएसओ की आंकड़ा संसाधन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण'' - 395.27 लाख रु. की बचत (415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुईं।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.50 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थी।

(I) Under “Statistics” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Institutional Development and Capacity Building” – saving of Rs.793.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.934.00 lakhs); and

(B) “Strengthening of Data Processing Capabilities of NSSO” – saving of Rs.395.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.415.00 lakhs).

Savings under above two heads were due to non-utilisation of allotted funds by the Ministry of Urban Development.

(II) Under one head saving of Rs.79.50 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.